छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कल्यानपुर कानपुर

कार्य परिषद् की आपात् बैठक दिनांक ५.१०.९९ को सायं ४.३० बजे विश्वविद्यालय के कार्य परिषद् कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया -

१.	प्रो० के०बी०पाण्डेय,	कुलपति,	अध्यक्ष
२.	डा० ई०एच०कुरैशी,	अधिष्ठाता आयुर्वेदिक एवं यूनानी संकाय,	सदस्य
३.	डा० एम०पी० गुप्ता	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय,	सदस्य
४.	प्रो० एल०सी०मिश्रा,	आचार्य, जीवन विज्ञान संकाय, सीएसजेएम विश्वविद्यालय,	सदस्य
५.	डा.(श्रीमती) मृदुला भदौरिया	उपाचार्य, शिक्षा विभाग, सीएसजेएम विश्वविद्यालय	सदस्य
६.	डा० निरंजन सिंह,	प्राचार्य ब्रह्मावर्त डिग्री कालेज, मन्धना,	सदस्य
७.	डा० ब्रह्मवीर निषाद,	प्राचार्य, भीमराव अम्बेदकर महाविद्यालय, उंचाहार,	सदस्य
८.	डा० रंजीत किशोर मिश्र,	प्रवक्ता, जीवन विज्ञान संकाय, सीएसजेएम विश्वविद्यालय,	सदस्य
९.	डा० सरोज बहादुर सक्सेना,	भूगोल विभाग, डी०ए०वी०कालेज,	सदस्य
१०.	डा० देवर्षि शर्मा,	अंग्रेजी विभाग, डी०ए०वी०कालेज, कानपुर,	सदस्य
११.	श्री जे०एन०रैना,	वित्त अधिकारी,	पदेन सदस्य
१२.	श्री बी०के०पाण्डेय,	कुलसचिव,	सचिव

कार्य-विवरण

सर्वप्रथम माननीय कुलपति जी ने उपस्थिति सदस्यों का स्वागत करते हुए आपात् बैठक बुलाये जाने की परिस्थितियों को स्पष्ट किया ।

१. सत्र १९९९-२००० के लिए सान्ध्यकालीन कक्षाओं पर विचार -

कार्य परिषद् द्वारा विभिन्न महाविद्यालयों में चल रहे सान्ध्यकालीन कक्षाओं की समीक्षा की गयी । सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सत्र १९९९-२००० हेतु किसी भी महाविद्यालय को बी०एड० पाठ्यक्रम की सान्ध्यकालीन कक्षाओं को संचालित करने की अनुमति (या विस्तरण) न प्रदान की जाय ।

२. दिनांक ५.१०.१९९९ को सम्पन्न परीक्षा समिति के निर्णयों के अनुमोदन पर विचार -

कार्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किये गये दिनांक ५.१०.९९ को सम्पन्न परीक्षा समिति के निर्णयों को कार्यपरिषद ने सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदित करने का निर्णय लिया ।

३. महामहिम कुलाधिपति से प्राप्त निर्देशों के क्रियान्वयन पर विचार -

(१) महामहिम कुलाधिपति के विशेष सचिव से प्राप्त पत्र संख्या ई-८४८७/जी०एस० लखनऊ दिनांक १७.९.१९९९ को कार्य परिषद् पटल पर प्रस्तुत किया गया, जो दयानन्द महाविद्यालय,बछरावां, रायबरेली द्वारा बिना सम्बद्धता के छात्रों के प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में है । कार्य परिषद् द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से उपरोक्त पत्र के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया -

क. बिना सम्बद्धता के किसी भी पाठ्यक्रम/विषय के प्रवेश लेने वाले महाविद्यालयों के प्राचार्य के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाय ।

ख. उक्त महाविद्यालय में प्रश्नगत विषय के प्रवेशित छात्रों को फिरोज गान्धी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायबरेली में स्थानान्तरित करते हुए सम्बन्धित छात्रों हेतु उस महाविद्यालय में उतनी सीटें अतिरिक्त रूप से सृजित मानी जाय ।

(२) महामहिम कुलाधिपति के विशेष सचिव से प्राप्त पत्र संख्या ई-८०९७/जी०एस० लखनऊ दिनांक २८.९.९९ जो दयानन्द शिक्षा संस्थान, कानपुर द्वारा संचालित महाविद्यालयों में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूलने के सम्बन्ध में है, कार्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर सम्यक् विचारोपरान्त क्रियान्वयन हेतु कार्यपरिषद ने अग्रलिखित निर्णय लिया -

यदि कोई महाविद्यालय मनमानी ढंग से छात्रों से शुल्क की वसूली करता है तो महाविद्यालय की प्रश्नगत विषयों/पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता समाप्त करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के परिनियम के अधीन कार्यवाही की जाय तथा तत्सम्बन्धी प्रस्ताव माननीय कुलाधिपति एवं उत्तर प्रदेश शासन को सन्दर्भित किया जाय । यह भी निर्णय लिया गया कि सत्र २०००-२००१ हेतु समस्त पाठ्यक्रमों हेतु समय से शुल्क निर्धारित कर लिया जाय । इस हेतु एक समिति के गठन के लिए माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया ।

अन्त में माननीय कुलपति जी को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई

(के०बी०पाण्डेय)
कुलपति एवं अध्यक्ष

(बी०के०पाण्डेय)
कुलसचिव एवं सचिव